सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

2021

आयुष भवन, जयपुर

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

राजस्थान राज्य आयुष नीति

2021

राजस्थान राज्य आयुष नीति 2021

1	प्रस्तावना (Introduction)		1
2	राज्य में आयुष परिचय		1–6
3	उद्देश्य (Objectives)		7
4	कार्य–नीति एवं महत्त्व क्षेत्र (Strategic Framework & Thrust areas)		7–18
4.1	आयुष चिकित्सा सेवायें (Services)		7
4.1.1	चिकित्सालय / विशेषज्ञता चिकित्सालय / खण्ड चिकित्सालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / औषधालय (Hospitals / Speciality Hospitals / Block Hospitals / PHCs / Dispensaries)		7–10
4.1.2	स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (Health Care Programme)		10
	4.1.2.1	जनस्वास्थ्य (Public Health)	10
	4.1.2.2	जनजाति स्वास्थ्य (Tribal Health)	10
	4.1.2.3	वेलनेस कार्यक्रम (Wellness Programme)	10
	4.1.2.4	संक्रामक रोग (Infectious diseases)	10–11
	4.1.2.5	गैर–संक्रामक / जीर्ण रोग (Non-Infectious / Chronic disorders)	11
	4.1.2.6	मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health)	11
	4.1.2.7	शिशु स्वास्थ्य (Child Health)	11
	4.1.2.8	किशोरावस्था स्वास्थ्य (Adolscent Health Care)	11
	4.1.2.9	वृद्धजन स्वास्थ्य (Geriatric Health)	11–12
	4.1.2.10	मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health Care)	12
	4.1.2.11	जीवन शैली प्रबन्धन (Life Style Management)	12
	4.1.2.12	नशामुक्ति (De-addiction)	12–13
	4.1.2.13	अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम (Other Health Programme)	13
4.2	आयुष शिक्षा (AYUSH Education)		13
	4.2.1	आयुष स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. शिक्षा (AYUSH UG, PG & Ph.D. Education)	13–14
	4.2.2	आयुष पैरा–मेडिकल शिक्षा (AYUSH Para-medical Education)	14
4.3	शोध एवं विकास (Research & Development)		14
4.4	प्रकाशन एवं प्रलेखन (Publication & Documentation)		14
4.5	क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास (Capacity building and Skill development)		14–15
4.6	औषधि (Medicines)		15–18
	4.6.1	जड़ीबूटियां / औषधीय पादप (Raw material / Medicinal Plants)	15–17
	4.6.2	औषधि निर्माण (Drug Manufacturing)	17
	4.6.3	गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण (Quality Assurance and Control)	17–18
4.7	आयुष वेलनेस पर्यटन (AYUSH Wellness Tourism)		18
4.8	सूचना, शिक्षा एवं संचार (Information, Education & Communication)		18
4.9	सूचना प्रणाली (Information System)		18
5	वित्तीय आवंटन / प्रोत्साहन / अनुदान (Financial allocation/Incentives/Subsidies)		19
6	गवर्नेंस (Governance)		19–20
7	संस्थागत तन्त्र (Institutional Mechanism)		20
8	नियामक ढांचा (Regulatory Framework)		20
9	वैधता (Validity)		20
10	संलग्नक (Annexures)		21–33

"सर्वे सन्तु निरामयाः"

"राजस्थान राज्य आयुष नीति 2021"

1. प्रस्तावना (Introduction):–

आयुष चिकित्सा पद्वतियां अपने विशिष्ट एवं समग्र स्वास्थ्य व चिकित्सा के सिद्वान्तों एवं क्रियाविधि के कारण अपना पृथक स्थान रखती है। इन चिकित्सा पद्वतियों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य को बनाये रखना एवं रोगाक्रान्त जन के रोग का निवारण करना है, इसी आधार पर शासन द्वारा आयुष चिकित्सा पद्वतियों को मान्यता प्रदान की गयी है। आयुष (AYUSH) चिकित्सा पद्वतियों में पॉच चिकित्सा पद्वतियां आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्व तथा होम्योपैथी सम्मिलित है।

1. **आयुर्वेद**:– भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्वति है। भारतीय दर्शन एवं प्रकृति पर आधारित स्वास्थ्य सिद्वान्त तथा चिकित्सा में समग्र दृष्टिकोण एवं विशिष्ट चिकित्सा क्रियाविधी इसकी विशिष्टता है।
2. **योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा:–** भारत में उत्पन्न चिकित्सा की प्राचीन प्रणाली है, इसका विशद शास्त्रीय प्रामाणिक साहित्य पंतजलि माहाभाष्य के रूप में उपलब्ध है। योग सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाये रखने और बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रभावी है। प्राकृतिक चिकित्सा उपचार प्रकृति की अंतर्निहित शक्ति के सिद्वान्तों पर आधारित है यह प्रकृति के पॉच महान तत्वों– पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के माध्यम से स्वास्थ्य को बनाये रखने व बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है।
3. **यूनानी चिकित्सा**:– यूनानी चिकित्सा पद्वति यूनान में उत्पन्न हुई इसे सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक हिप्पोक्रेटस द्वारा 460–377 ईसा पूर्व दुनिया का शास्त्रीय रूप में परिचित करवाया। इस पद्वति में प्रमुख रूप से चार तत्वों दम, बलगम, सफरा, सौंद को आधार बनाकर ईलाज विद तदबीर, इलाज विदगीजा, इलाज विद दवा, जराहत में चिकित्सा को वर्गीकृत कर इलाज किया जाता है।
4. **सिद्वः–** सिद्व भी चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है भारत में 900 से 1000 ईस्वी के मध्य सिद्व चिकित्सा की प्रगति हुई। सिद्व परम्परा में खनिज, धातु, विषाक्त पदार्थ, वनस्पति को इलाज में काम लिया जाता है।
5. **होम्योपैथी:–**होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट के नियम के आधार चिकित्सा की एक तर्क संगत प्रणाली है इस पद्वति की खोज जर्मन के चिकित्सक डॉ सैमुअल हैनीमैन द्वारा 1796 में की गयी।

2. राज्य में आयुष परिचय

राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बडा राज्य है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्यप्रदेश, उत्तर में पंजाब (भारत), उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल 342239 वर्ग कि.मी. (132139 वर्गमील) है। 2011 की गणना अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत है।

राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप–आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापान्तर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्द्ध शुष्क एवं उप–आर्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिती, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से उचाई, अरावली पर्वत श्रेणीयों की स्थिती एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि सभी यहॉ की जलवायु को प्रभावित करते है।

राजस्थान राज्य की भौगोलिक परिस्थितिया व संरचना आयुर्वेद दृष्टि से जॉगल देश प्रधान है जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बीमारियां (रोग) कम होने वाला माना गया है और इसमें भी "मरूभूमि आरोग्य कराणां श्रेष्ठः" कहा है ये सभी बातें राजस्थान को प्रकृति प्रदत्त मिली हुई वनस्पतियों, जल–वायु के आधार पर है।

2.1 वर्तमान में प्रदेश में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को सस्ती, निरापद, प्रभावी एवं सर्व स्वीकार्य होने के कारण, मुख्य धारा में लाने के प्रयासों के अन्तर्गत आयुष संस्थाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए और अधिक आर्थिक अनुदान एवं संसाधन उपलब्ध कराये जानें के

प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति के लक्ष्य में इन पद्धतियों की भूमिका व उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

2.2 आयुष पद्धतियों की आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य देश के अग्रणी राज्यों में है जहां आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का व्यापक आधार एवं विस्तार है। राजस्थान सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल एवं जैव विविधतापूर्ण राज्य है, जहां वनौषधियों की अनेक प्रजातियां यथाः– वासा, कुटज निर्गुण्डी, नागरमोथा, गुग्गुल, कण्टकारी, रोहितक, गोक्षुर, सनाय, गिलोय, कुमारी, शिरीष, शोभांजन, अर्जुन, शंखपुष्पी, इन्द्रवारूणी, आंवला, ईसवगोल, गुडमार, कॉचनार, द्रोणपुष्पी, शरपुंखा, अश्वगंधा, शतावरी, नागवला, अतिवला, पारिजात आदि पाई जाती है, जिनका जनसामान्य द्वारा पारम्परिक रूप से स्वास्थ्य लाभ हेतु उपयोग किया जाता रहा है। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति राज्य की जनता में स्वीकार्यता एवं विश्वास होने के कारण राज्य सरकार द्वारा आमजन की भावना के अनुरूप राज्य में आयुष चिकित्सा को प्रोत्साहित करने एवं इसके आधारभूत ढांचे को विकसित करने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

2.3 राज्य में आयुष प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय, प्रशासनिक विभाग, राज्य स्तर पर आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक के पृथक–पृथक निदेशालय, संभाग स्तर पर अतिरिक्त निदेशक कार्यालय, जिला स्तर पर उपनिदेशक कार्यालय, औषध निर्माणशालाओं के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त निदेशक रसायनशालायें व प्रबंधक रसायनशाला तथा निजी औषध निर्माण शालाओं के पर्यवेक्षण के लिए सहायक औषध नियंत्रक तथा औषध निरीक्षक आदि कार्यरत है। इनके अलावा राज्य में आयुर्वेद, यूनानी एवं योग प्राकृतिक चिकित्सकों के पंजीयन हेतु बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन, होम्योपैथिक चिकित्सकों के पंजीयन हेतु होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, वनौषधियों के संरक्षण संवर्धन एवं विपणन कार्यों के लिए स्टेट मेडिसिनल प्लान्टेशन बोर्ड तथा आयुष नर्सेज़ के पंजीयन हेतु राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् कार्यरत है।

2.4 राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 120 चिकित्सालय एवं 3579 औषधालय, होम्योपैथिक चिकित्सा के 06 चिकित्सालय एवं 185 औषधालय, यूनानी चिकित्सा के 11 चिकित्सालय एवं 120 औषधालय, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 03 चिकित्सालय एवं 03 औषधालय तथा जिला चिकित्सालयों में 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत 1100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सेवा के लिए आयुर्वेद की 14 चल चिकित्सा इकाईयां तथा होम्योपैथिक की 02 चल चिकित्सा इकाईयां संचालित है। राज्य में आयुर्वेद के 10868 चिकित्सक, होम्योपैथिक के 8610 चिकित्सक तथा यूनानी के 1121 चिकित्सक एवं 97 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक पंजीकृत है।

क्र. सं.	चिकित्सा पद्धति	पंजीकृत चिकित्सक	चिकित्सालय	औषधालय	शिक्षण संस्थान	फार्मेसी
1	आयुर्वेद	10868	120	3579	10 आयुर्वेद महाविद्यालय, 28 आयुष नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र	5 राजकीय आयुर्वेद रसायनशालायें, 324 रसायनशालायें निजि क्षेत्र में
2	होम्योपैथी	8610	6	185	10 होम्योपैथी महाविद्यालय	–
3	यूनानी	1121	11	120	3 यूनानी महाविद्यालय	–
4	योग एवं प्राकृतिक	97	3	3 औष., 33अनुसंधान केन्द्र	7 योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय	–

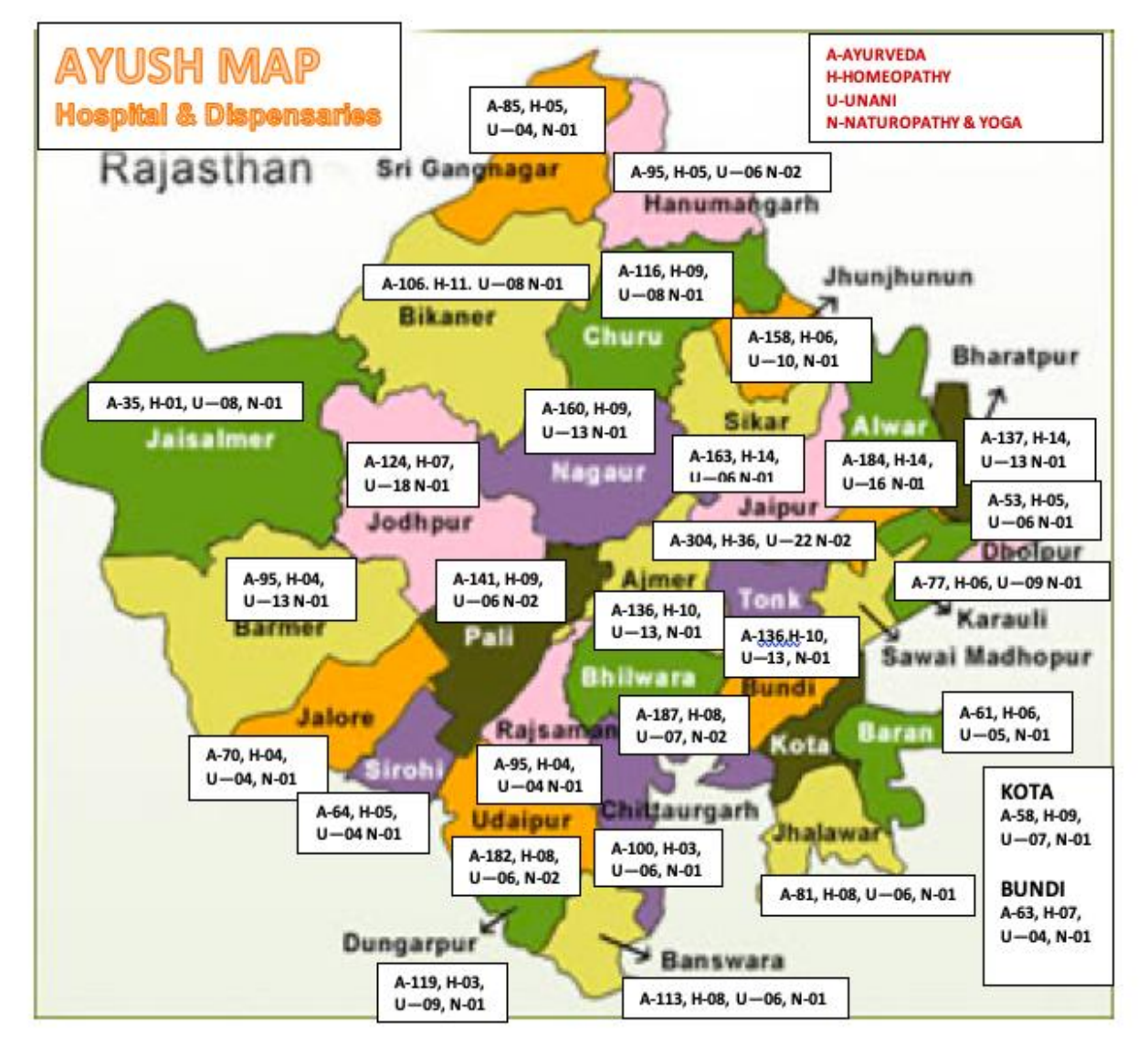

2.5 राज्य में आयुष शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संचालित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर सहित 10 आयुर्वेद महाविद्यालय, 07 योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, 06 होम्योपैथिक महाविद्यालय, 03 यूनानी महाविद्यालय तथा 28 आयुष नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

2.6 राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए 05 राजकीय आयुर्वेद रसायनशालायें राजकीय स्तर पर संचालित की जा रही है तथा 324 रसायनशालाएं निजी क्षेत्र में संचालित है। रसायनशालाओं के अनुज्ञापन, संचालन एवं निरीक्षण हेतु औषध नियंत्रक अनुज्ञापन अधिकारी, सहायक औषध नियंत्रक एवं औषध निरीक्षकों द्वारा कार्य सम्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में औषधियों के परीक्षण एवं मानकीकरण हेतु एक औषध परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर में स्थापित है।

2.7 राज्य में जड़ी–बूटियों के उत्पादन, विपणन, संवर्द्धन एवं संग्रहण कार्यों को समुन्नत करने हेतु राज्य स्तर पर एक औषध पादप मण्डल का गठन वर्ष 2002 में हुआ है जो निरन्तर कार्यरत है।

2.8 इस प्रकार राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों का एक विस्तृत सरंचना उपलब्ध है, किन्तु व्यापक संरचना के बावजूद भी समुचित नीति के अभाव में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की सेवाओं का अधिकतम लाभ राज्य की जनता के स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोगोपचार को दृष्टिगत रखते हुए इन पद्धतियों के सुनियोजित विकास एवं कार्यसंस्कृति विकसित करने हेतु ''राजस्थान राज्य आयुष नीति 2021'' को प्रभाव में लाया जा रहा है।

3. आयुष नीति के उद्देश्य(Objectives)

3.1 जनसामान्य को आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगोपचार हेतु गुणात्मक सेवायें प्रदान करना व स्वास्थ्य सुविधाओं को उनकी पंहुच में लाना।

3.2 आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन, समसामयिक पाठ्यक्रमों की संरचना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं अनुसंधान परक गति विधियों को प्रोत्साहित करना।

3.3 आमजन को सुरक्षित, सस्ती व उच्च गुणवत्तापूर्ण आयुष औषधि उपलब्ध करवाना।

3.4 मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण औषध निर्माण हेतु गुणवत्तायुक्त जड़ी बूटियों का संरक्षण, उत्पादन, विपणन, घरेलू व निर्यात हेतु प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में राज्य में उपलब्ध आयुष के आधारभूत सरंचना एवं मानव संसाधन का सर्वांगीण उपयोग सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तंत्र (Health Delivery System)को विकसित करना।

3.6 जीवनशैली (Lifestyle) जनित रोगों एवं जीर्ण रोगो (Chronic Disease) में प्रभावी आयुष चिकित्सा विकसित करना एवं उपलब्ध आयुष औषधियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना।

3.7 आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जनसामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विषयवस्तु प्रचार सामग्री एवं विभिन्न माध्यमों का निर्धारण कर कार्ययोजना बनाना।

3.8 आयुष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की सहभागिता को स्वीकार्य बनाना।

4. कार्यनीति एवं महत्व क्षेत्र(Strategic Framework and Thrust areas):–

4.1 आयुष चिकित्सा सेवाएं (Services)– वर्तमान में आयुष विभाग में संचालित चिकित्सालयों/औषधालयों की आवश्यकता एवं स्थान के सम्यक् मानदण्ड निर्धारित कर चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक ब्लॉक पर नवीन ब्लॉक आयुष चिकित्सालय खोलकर संचालित किया जावेगा।

ऐसी ग्राम पंचायतें जहां आयुष औषधालय स्थापित नहीं है, वहां चरणबद्ध तरीके से मानक के अनुरूप नवीन आयुष औषधालय खोले जायेंगे।

4.1.1 चिकित्सालय/विशेषज्ञता चिकित्सालय/खण्ड चिकित्सालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालय (Hospitals / Speciality Hospitals / Block Hospitals / PHCs / Dispensaries)

4.1.1.1 राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 1100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक व जिला चिकित्सालयों पर आयुष चिकित्सा केन्द्र संचालित है, इसी तर्ज पर शेष रहे 'प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर' जहां आयुष चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं है वहां चरणबद्ध तरीके से नवीन आयुष चिकित्सा केन्द्र खोले जायेंगे।

4.1.1.2 राज्य में आयुष चिकित्सा संस्थानों के तीन स्तर बनाये जायेंगे यथा – जिला आयुष चिकित्सालय, ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर औषधालय।

(अ) जिला आयुष चिकित्सालय :– राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर संचालित आयुष चिकित्सालयों को जिला आयुष चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जायेगा, ये चिकित्सालय विशेषज्ञ सेवाओं एवं तत्सम्बन्धी सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे जिसमें कायचिकित्सा/पंचकर्म विशेषज्ञ, शल्यतंत्र विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति/बालरोग विशेषज्ञ तथा रोग एवं विकृति विज्ञान विशेषज्ञ सेवाओं का संचालन अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों हेतु किया जायेगा। जिला चिकित्सालयों में नाड़ी, मल–मूत्र, रक्त इत्यादि की जांच हेतु एक प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी तथा पंचकर्म एवं क्षारसूत्र चिकित्सा हेतु आवश्यक सभी उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

उक्त चिकित्सालयों में उक्त सेवाओं के साथ आयुर्वेद, हौम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक की सेवायें भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

(ब) ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय :– प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे, ये चिकित्सालय विशेषज्ञ सेवाओं एवं तत्सम्बन्धी सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे। जिसमें पंचकर्म/कायचिकित्सा, शल्यतंत्र, स्त्री एवं प्रसूति/बालरोग विशेषज्ञ सेवा (आंचल प्रसूता केन्द्र) तथा स्वास्थ्य संरक्षण (सामुदायिक स्वास्थ्य हेतु) विशेषज्ञ सेवाओं का संचालन अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों हेतु किया जायेगा।

यह चिकित्सालय, औषधालयों से रेफर किये गये रोगियों के लिए एक आदर्श चिकित्सालय होगा।

(स) औषधालय :– प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर औषधालय का संचालन होगा जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर औषधालय संचालित नहीं है वहां समानीकरण के तहत गैर पंचायत मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय पर औषधालय स्थानान्तरित किये जायेंगे या चरणबद्ध तरीके से नवीन औषधालय खोले जायेंगे।

आयुर्वेद औषधालयों में विभिन्न रोगियों को आयुर्वेदचिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, किन्तु अब इन औषधालयों में चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित कार्यकलाप भी प्रारम्भ किये जायेंगे। औषधालय प्रभारी औषधालय स्थल पर एक ''स्वास्थ्य जागरूकता समूह'' का गठन करेगा जिसमें औषधालय क्षेत्र के लोक सेवक, जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। चिकित्साधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा, यह समूह क्षेत्र में स्वच्छता, जीवनशैली, मातृ व शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी वनौषधियों के उपयोग इत्यादि की जानकारी जन सामान्य को देगा एवं प्रोत्साहित करेगा। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत की सभा में या औषधालय प्रांगण में आयोजित किये जायेंगे।

औषधालय का चिकित्साधिकारी क्षेत्र की समस्त स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा एवं छात्रों/बालकों/किशोरियों/महिलाओं को दिनचर्या, योग, जीवनशैली, आहार–विहार, रक्ताल्पता, किशोरावस्था जन्य परिवर्तन एवं आयुर्वेद सिद्धान्तों का पालन कर स्वास्थ्य संरक्षण की जानकारी देगा।

4.1.1.3 जिला आयुष चिकित्सालय, ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय के लिए भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं टेलीफोन मय इन्टरनेट कनेक्शन, एवं स्टाफ व सुविधाओं के लिये न्यूनतम मानदण्ड पृथकशः निर्धारण किए जाएगें जिससे जनसामान्य के स्वास्थ्य हेतु इन चिकित्सा संस्थाओं को अधिक सुविधा संपन्न किया जा सकेगा।

4.1.1.4 जिन आयुष चिकित्सालयों/औषधालयों में उक्त मानकों के अनुरूप भूमि, भवन, स्टॉफ, औषध एवं उपकरण इत्यादि उपलब्ध नहीं है, इन्हें आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित किया जायेगा।

4.1.1.5 आयुर्वेद के प्रथम उद्देश्य (स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्) की पूर्ति हेतु विभाग में स्वस्थ वृत्त इकाई (Preventive Health Unit) का गठन किया जाकर जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों, ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालयों एवं औषधालयोंमें इससे सम्बंधित गतिविधियॉ संचालित की जायेंगी।

4.1.1.6 जिला/ब्लॉक स्तरीय आयुष/आयुर्वेद चिकित्सालयों में प्रदत्त विशेषज्ञ सेवाओं के अन्तर्गत चिकित्सकीय विषय में (Clinical Subject) में स्नातकोत्तर उपाधिधारक यथा कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र, बालरोग, स्त्री एवं प्रसूति रोगविशेषज्ञ चिकित्साधिकारी पदस्थापित किये जायेंगे। होम्योपैथी चिकित्सालय में चर्म रोग, मानसिक रोग, गुर्दा रोग, शिशु रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति तथा यूनानी चिकित्सालयों

में विशेषज्ञ सेवाओं के अन्तर्गत ईलाज बित तदबीर (रेजीमेन्टल थैरेपी), हिजामा, अमराजे जिल्द एवं सौन्दर्य क्लिनिक, बर्स (सफेद दाग) रोग विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी पदस्थापित किये जाएगे।

4.1.1.7 जिन चिकित्सालय/औषधालय में परिचारक या सफाईकर्मी के पद सृजित नहीं है वहां पर अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन पर एक मुश्त राशि आधारित श्रमिक साफ–सफाई एवं रखरखाव हेतु रखे जा सकेंगे, एतदर्थ सम्बन्धित औषधालय/चिकित्सालयों को राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

4.1.1.8 सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आमजन को आयुष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु चल चिकित्सा इकाईयों को स्टॉफ, वाहन एवं औषधि आदि संसाधनों से परिपूर्ण किया जायेगा, इस हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान रखे जायेंगे। प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष विशिष्ट आयुष चिकित्सा शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिसमें चिकित्सा सेवाओं के साथ–साथ जनसामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एक स्वास्थ्य प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी।

4.1.2 स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (Health Care Programme)

4.1.2.1 जनस्वास्थ्य (Public Health)

1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु राज्य के आयुष मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जायेगा। एतदर्थ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आयुष मानव संसाधन द्वारा निर्देशानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा।

2 विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों यथा प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, रक्ताल्पता निवारण आदि कार्यक्रमों में आयुष पद्वतियों के माध्यम से योगदान प्रदान किया जायेगा।

3 राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति जनसामान्य में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु कार्य किया जायेगा।

4.1.2.2 जनजाति स्वास्थ्य (Tribal Health)

प्रदेश की लगभग 12.4 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है और यह अधिकतर उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर जिलों में निवास करते है। शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछडे होने के कारण इनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें अत्यधिक प्रभावित करती है। बच्चों में कुपोषण तथा गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता, प्रसव सम्बन्धी समस्यायें तथा प्रजनन संस्थानगत रोग अधिक प्रभावित करते है अतः इस क्षेत्र में आयुष चिकित्सा तंत्र को और अधिक सुदृढ किया जायेगा।

4.1.2.3 वेलनेस कार्यक्रम (Wellness Programme)

प्रदेश के नागरियों को स्वस्थ रखने के लिये उनके स्वास्थ के संरक्षण, संवर्धन एवं रोगोपचार हेतु विशेष व्यवस्थायें की जायेंगी। इस हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत चयनित स्थानों पर पचास शय्यायुक्त वेलनेस केन्द्रों की स्थापना चरणबद्व तरीके से अधिकाधिक रूप में की जायेगी।

4.1.2.4 संक्रामक रोग (Infectious diseases)

मौसमी बीमारियों के रोकथाम हेतु आयुर्वेद के ऋतुचर्या, दिनचर्या, सदवृत्त, स्वच्छता एवं आहार–विहार सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रचार–प्रसार कर जनसामान्य में जागरुकता उत्पन्न की जायेगी एवं आकस्मिक रूप से उत्पन्न एपिडेमिक रोग के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर तथा आयुर्वेद

महाविद्यालय उदयपुर से समन्वय स्थापित कर एपिडेमिक रोग का प्रोटोकॉल बनाकर औषधालय स्तर तक क्रियान्विति कराना।

4.1.2.5 गैर–संक्रामक / जीर्ण रोग (Non-Infectious / Chronic disorders)

आयुष चिकित्सा पद्वतियां गैर संक्रामक एवं जीर्ण रोगों की चिकित्सा हेतु अत्यन्त प्रभावकारी एवं निरापद रूप से कार्य करती है। इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा हेतु आयुष चिकित्सालयों में प्रत्येक स्तर पर और अधिक सुविधाओं को विकसित किया जायेगा।

4.1.2.6 मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health)

महिलाओं में गर्भावस्था जन्म सामान्य स्वास्थ्य समस्यायें, रक्ताल्पता, गर्भस्थ शिशु के उचित विकास, मातृ–स्तन्य वर्धक योगों का उपयोग तथा गर्भावस्था में नियमित परीक्षण आदि हेतु प्रदेश के आयुष चिकित्सालयों में उपलब्ध व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ कर विकसित किया जायेगा।

4.1.2.7 शिशु स्वास्थ्य (Child Health)

- पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में विभिन्न सक्रमंण बार बार रूग्ण होने से बचाव के लिए सामान्य टिका करण के साथ स्वर्ण प्राशन के कार्यक्रम को विस्तृत रूप में लागू किया जायेगा जिससे बच्चों की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके।
- कुपोषण से पीडित बच्चों में बल्य आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग को बढावा दिया जायेगा।
- विशेष व्याधियों यथा– मस्कुलर डिस्ट्राफी, सेरिब्रल पॉल्सी, आदि से पीडित बच्चों में क्वालिटी ऑफ लाईफ को उन्नत करने हेतु पंचकर्म तथा आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग को बढाते हुए शैक्षणिक चिकित्सालयों में इनकी चिकित्सा हेतु विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

4.1.2.8 किशोरावस्था स्वास्थ्य (Adolscent Health Care)

- प्रदेश की बहुसंख्यक जनसंख्या किशोरावस्था में है। इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट समस्याऐं होती है आयुष चिकित्सालयों औषधालयों एवं आयुष शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से इस आयु वर्ग के नागरिकों के स्वास्थ्य देख भाल के लिए योजनाऐं लागू की जायेगी।

4.1.2.9 वृद्धजन स्वास्थ्य (Geriatric Health)

- प्रदेश की औसत आयु में वृद्धि होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस आयु वर्ग में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट स्वास्थ्य समस्यायें जैसे– जोडो की बिमारियॉ, नाडी तंत्र के रोग, डिजनरेटिव डिसआर्डर आदि विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इस हेतु आयुष के जिला चिकित्सालयों तथा शैक्षणिक चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से सुविधाऐं विकसित की जायेगी। योग के प्रयोग को विशेष रूप से बढावा दिया जायेगा।

4.1.2.10 मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health Care)

वर्तमान जीवन शैली के कारण बढती हुई मानसिक स्वास्थ्य की समस्यायें, जैसे तनाव, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो रही है। आयुष

चिकित्सा पद्वतियों के माध्यम से इसकी चिकित्सा हेतु वांछित सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी।

4.1.2.11 जीवन शैली प्रबन्धन (Life Style Management)

आधुनिक जीवनशैली एवं बढ़ते मानसिक तनाव के कारण स्थौल्य (Obesity) मधुमेह (Diabetes) उच्च रक्त चाप (Hypertension) एवं कैंसर इत्यादि असंचारी व्याधियों का प्रचलन बढ़ा है। इन रोगों को नियमित योग एवं व्यायाम, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सद्वृत, आहार–विहार एवं रसायन–वाजीकरण के द्वारा प्रभावी रूप से नियन्त्रित किया जा सकता है। अतः आयुषतंत्र के माध्यम से जनसामान्य में जागरुकता लाने एवं रोगग्रस्त होने पर आयुष औषधियों के माध्यम से इनके निराकरण के प्रयास किय जायेंगे।

4.1.2.12 नशामुक्ति (De-addiction)

प्रदेश के विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र विशेषकर जोधपुर, बाडमेर एवं जैसलमेर में अफीम का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। जिससे उमें इसके व्यसन की गंभीर स्थिति देखी गई है। इसके अतिरिक्त मद्य आदि मादक द्रव्य के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ी है। आयुष चिकित्सा द्वारा इसका निरापद निराकरण किये जाने हेतु चिकित्सा एवं परामर्श सुविधाओं को विकसित किया जायेगा। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयुष नशामुक्ति एवं पराकमर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसमें नशामुक्ति प्रशिक्षण, चिकित्सा तथा शोध की व्यवस्था है। इस केन्द्र के माध्यम से आयुष चिकित्सा सेवा के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित कर विभिन्न आयुष चिकित्सालयों में इसके केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे।

4.1.2.13 अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम (Other Health Programme)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु राज्य के आयुष मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जायेगा। एतदर्थ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आयुष मानव संसाधन द्वारा निर्देशानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.2 आयुष शिक्षा (AYUSH Education)

4.2.1 आयुष स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. शिक्षा (AYUSH UG, PG & Ph.D. Education)

4.2.1.1 केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिनियमों के अनुरूप राज्य में आयुष शिक्षण संस्थाओं में 5) वर्षीय स्नातक एवं 3 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं। आयुष के शिक्षण हेतु न्यूनतम मानक उक्त नियन्त्रक परिषदों द्वारा निर्धारित किए हुए हैं। राज्य में आयुष शिक्षा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 द्वारा नियंत्रित होती है। इस अधिनियम के अनुरूप आयुष शिक्षा संस्थानों की सम्बद्धता विश्वविद्यालय के नियन्त्रणाधीन है।

4.2.1.2 वर्तमान में राज्य के अजमेर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर सम्भाग पर आयुर्वेद महाविद्यालय संचालित नहीं है। अतः इन सम्भाग मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से राजकीय/ निजी आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।

4.2.1.3 राज्य में आयुष महाविद्यालयों के लिए शिक्षक एवं आयुष चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं के लिए स्नातकोत्तर उपाधिधारकों की नितान्त आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति अधिकाधिक स्नातकोत्तर योग्यताधारक तैयार करके ही की जा सकती है। वर्तमान में राज्य के एकमात्र राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर एवं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद में क्रमशः आठ व ग्यारह विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। अतः अधिक स्नातकोत्तर उपाधिधारक उपलब्ध हो सके, एतदर्थ दोनों महाविद्यालयों में समस्त 14 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जावें। राज्य के एकमात्र यूनानी महाविद्यालय, टोंक में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जावें।

4.2.1.4 राज्य में संचालित आयुष शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम मानकों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, जिससे उच्च स्तरीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधिधारक तैयार किये जा सकेंगे। न्यूनतम मानकों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता हेतु निजी क्षेत्र में विधिवत् अनुमति प्राप्त अलाभकारी आयुष शैक्षणिक संस्थानों को केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अवसंरचना उन्नयन हेतु सब्सिडी युक्त ऋण सुविधा उपल्बध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.2.2 आयुष पैरा–मेडिकल शिक्षा (AYUSH Para-medical Education)

आयुष क्षेत्र में योग्य फार्मासिस्ट तैयार करने हेतु डी. फार्मा (आयुर्वेद), बी.फार्मा (आयुर्वेद) एवं एम.फार्मा (आयुर्वेद) आदि पाठ्यक्रम तैयार कर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जायेंगे, जिससे फार्मेसी क्षेत्र के लिये कुशल एवं दक्ष व्यक्ति उपलब्ध हो सकेंगे।

4.3 शोध एवं विकास (Research & Development)

राज्य में आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में शोध एवं विकास हेतु एक भी केन्द्र संचालित नहीं है, आयुष चिकित्सा पद्धतियों की पुनर्वेधता(Revalidation), प्रभाव, समसामयिकीकरण एवं मानकीकरण के लिए इसकी महती आवश्यकता है। जहां चिकित्सा एवं भैषज उत्पादों पर अनुसंधान एवं समसामयिक विकास कार्य हो सके। एतदर्थ राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में शोध एवं विकास केन्द्र की स्थापना की जावेगी। यह केन्द्र साहित्यिक अनुसंधान (Literary Research) नैदानिक अनुसंधान (Clinical Research) औषधीय अनुसंधान (Drug Research) पर आधारित नवीन प्रोजेक्ट्स तैयार कर शोध कार्य करेगा। शोध से सम्बन्धित आंकड़ों (Data) का Documentation एवं Publication करेगा एवं विश्वविद्यालय वेबसाईट पर रिसर्च पोर्टल लिंक बनाकर उसमें इन्हें Upload करेगा, जिससे इन शोध कार्यों की जानकारी आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत समस्त लोगों को मिल सके। निजी क्षेत्र की सक्षम संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा शोध कार्य हेतु सहयोग मांगे जाने पर यह केन्द्र उनकी तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

4.4 प्रकाशन एवं प्रलेखन (Publication & Documentation)

यह प्रकोष्ठ सावधि आयुष पत्रिका (Periodicals) का प्रकाशन भी करेगा, जिसमें आयुष विभाग की जानकारियों के साथ–साथ, आयुष क्षेत्र के समस्त क्रियाकलापों यथा – नवीनतम अनुसंधान, आयुष चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षण–प्रशिक्षण से सम्बन्धित गतिविधियां, वनौषधि एवं औषध निर्माण के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम कार्यों की जानकारियां शामिल की जायेंगी तथा पत्रिका का निःशुल्क वितरण समस्त आयुष औषधालय, चिकित्सालय एवं कार्यालयों में किया जायेगा।

4.5 क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास (Capacity building and Skill development)

4.5.1 आयुष पद्धति के शिक्षकों एवं चिकित्सकों के ज्ञान को अद्यतन करने हेतु यह आवश्यक है कि सतत शिक्षा कार्यक्रम [CME] का आयोजन हो, एतदर्थ राज्य सरकार पर्याप्त बजट प्रावधानों के साथ आयुष शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से सतत् शिक्षा कार्यक्रम को लागू करेगी। नर्सिंग कार्मिकों को भी इन कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा।

4.5.2 राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में कई गुणीजन परम्परागत तरीके से जडीबूटियों के माध्यम से उपचार कर रहें है तथा कई प्राचीन पुस्तकालयों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों में आयुर्वेद विषयक ज्ञान वर्णित है। अतः परम्परागत जडीबूटियों से किये जाने वाले उपचार के संबध में सम्पूर्ण जानकारी का संकलन एवं प्रमाणिकरण किया जाना सामयिक आवश्यक है। इसी प्रकार पाण्डुलिपियों में वर्णित आयुर्वेद विषय ज्ञान का भी संकलन प्रमाणिकरण एवं प्रकाशन आवश्यक है। इस हेतु पारम्परिक औषध ज्ञान केन्द्र (Tradititional Drug Knowdlege Centre) की स्थापना डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में की जावेगी।

4.5.3 आयुष विधा द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा पंचकर्म आधारित पाठ्यक्रम, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम, ईलाज बित तदबीर इत्यादि विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे, जिनको महाविद्यालय स्तर, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर संचालित किया जायेगा, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कुशल व्यक्ति अपने स्तर पर, संस्था स्तर पर कार्य कर अपनी आजीविका चला सकेंगे।

4.6 औषधि (Medicines)

4.6.1 जड़ीबूटियां/औषधीय पादप (Raw material / Medicinal Plants)

4.6.1.1 आयुष चिकित्सा पद्धतियों में चिकित्सा का प्रमुख आधार औषधीय पादप हैं। इन औषधीय पादप प्रजातियों के मुख्य स्त्रोत वन, चरागाह, खरपतवार एवं कृषिकरण है। घटते वनक्षेत्र, वनों से अवैज्ञानिक विधियों से औषधीय पादपों की हार्वेस्टिंग, एवं अवैध संग्रहण के कारण वन क्षेत्रों से अनेक औषधिय पौध प्रजातियॉ समाप्तप्राय स्थिति में पहुॅच गयी हैं। अतिक्रमण के कारण चरागाह सिमटने के कारण चरागाहों में पायी जाने वाली अनेक महत्वपूर्ण औषधिय पौध प्रजातियॉ विलुप्त होने की स्थिति में आ गयी हैं। कृषि क्षेत्र में मैकेनाइज्ड कृषि यथा डीप कल्टीवेटर एवं केमिकल हर्बीसाइड से वीडिंग किये जाने के कारण खपतवार के रूप में पायी जाने वाली अनेक महत्वपूर्ण औषधिय पौध प्रजातियॉ विलुप्ति के कगार पर है। तथा कतिपय की उपलब्धता दुरूह होती जा रही है। दूसरी और घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर औषधीय पादपों की मांग एवं आपूर्ति में अन्तर बढता जा रहा है। परिणामस्वरूप आयुष चिकित्सा इकाइयों में औषध आपूर्ति प्रभावित हो रही हैं। अतः प्रदेश में औषधीय पादपों के संरक्षण व संवर्धन के लिये राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लॉट्स बोर्ड का सुदृढीकरण किया जाएगा। राज्य के लिये एक हर्बल पॉलिसी बनायी जाकर उसे लागू किया जाऐगा।

4.6.1.2 इस क्रम में राजस्थान राज्य में औषध पादप मण्डल बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा विगत वर्षो में औषध पादपों के संरक्षण सवर्धन एवं विपणन सम्बन्धी कार्य किये गये है। इस सम्बन्ध में निम्न अनुसार कार्य राज्य औषध पादप मण्डल द्वारा किये जाएगें।

- औषधीय पादपों की कृषि की संभावनाओं वाले चुनिन्दा जिलों में चिन्हित समूहों में औषधीय पादपों की कृषि को बढावा देना।
- इस प्रकार की कृषि को बढावा देने के लिए गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री का उत्पादन एवं आपूर्ति प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणन, भंडारण तथा आयुष उद्योगों की मांग को पूरा करने तथा मूल्य सवंर्धित वस्तुओं के निर्यात हेतु सहक्रियात्मक अनुबंध के माध्यम से अच्छे कृषि एवं संग्रहण अभ्यासों को अपनाना।
- औषधीय पादपों को इस प्रकार बढावा देना कि वह कृषकों के लिए फसल का विकल्प बन जावे।
- सहकारिता संस्थाओ/संगठनों के माध्यम से सामूहिक कृषि प्रयासों को प्रोत्साहन देना।
- गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री आपूर्ति हेतु आदर्श पौधशालाओं की स्थापना करना।
- गुणवत्तायुक्त पादप रोपण सामग्री आपूर्ति हेतु लघु पौधशालाओं की स्थापना करना।
- औषधीय पादपों के भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु सहायता।
- राज्य में 16 वनौषधि उद्यानों को जलवायु एवं वातावरण के अनुरूप औषधियों का रोपण, संग्रहण स्थल बनाया जायेगा।
- जलवायु एवं वातावरण के अनुरूप औषधियों को चिन्हित कर उन औषधियों को उनके जलवायु वातावरण के अनुसार रोपण, संग्रहण एवं वितरण प्रणाली प्रारम्भ की जावेगी।
- राज्य में वनौषधियों के विक्रय हेतु हर्बल मण्डियों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाकर स्थापना हेतु कार्य करना।

- जनजातीय, मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली वनौषधियों को चिन्हित कर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन औषधियों के उत्पादन एवं व्यापारिक लाभ के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- औषधालयों में यथा आवश्यक वनौषधियां लगाने एवं उपयोग लेने के लिए चिकित्सकों को प्रेरित किया जायेगा।

4.6.1.3 समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान औषधि पादप बोर्ड 'आयुर्वेद मिशन' के परिपत्र में वर्णित दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करते हुए लघु एवं बृहत् पौधशालाओं की स्थापना करना तथा औषधीय पादपों के भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु आर्थिक अनुदान/ सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिला तथा संभाग स्तर पर औषधि पादप फसल संग्रहण, शुष्कीकरण, भंडारण एवं प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना हेतु 'नोडल–एजेन्सी' के रूप में कार्य करेगा, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता आवश्यकतानुसार ली जा सकेगी।

4.6.1.4 औषधिय पादपों की संविदा खेती हेतु राजकीय भूमि को लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित आवश्यक प्रावधान सम्बन्धित अधिनियम/नियमों में करवाये जायेगें।

4.6.1.5 वनौषधि / औषधि पादपों के संरक्षण, संवर्धन, संकलन एवं विपणन हेतु स्थानीय व्यक्तियों के समूह/सोसायटी का गठन राजस्थान मेडिसिनल प्लाट्स बोर्ड के माध्यम से करवाया जाकर इसको बढ़ावा दिया जायेगा।

4.6.1.6 वनौषधि उद्यानों को विकसीत करने हेतु कृषि एवं वन विभाग के सहयोग से विस्तृत समन्वयन किया जायेगा।

4.6.1.7 डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयर्वेद, विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा औषध पादप कल्टीवेशन में डिप्लोमा पाठयक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।

4.6.2 औषधि निर्माण (Drug Manufacturing)

4.6.2.1 राज्य में संचालित आयुष चिकित्सा इकाइयों को गुणवत्तापूर्ण औषधियॉ उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न रसायन शालाओं को मिलाकर आयुष औषधि उत्पादन वितरण एवं विपणन निगम बनाया जायेगा । निगम के अन्तर्गत संचालित रसायनशालाओं में अत्याधुनिक मशीन व उपकरण लगाये जाऐंगें। रसायनशालाओं में सुप्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिक लगाये जाऐंगें।

4.6.2.2 आयुष चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षण के दौरान अनेक औषधियों पर अनुसंधान एवं नैदानिक परीक्षण किये जाते हैं जो सम्बन्धित रोगोपचार में अत्यधिक प्रभावी होते हैं ऐसी प्रमाणिक औषधियों का राज्य की रसायनशालाओं में निर्माण कर इस औषध को जनसामान्य के लाभ हेतु औषधालय/चिकित्सालयों में वितरित किया जावेगा। साथ ही आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी एवं सिद्ध चिकित्सकों द्वारा अनुभूत औषधीय योगों की प्रमाणिकता की जांच कर एवं पेटेन्ट करवाकर उसे वृहद् स्तर पर रसायनशालाओं में निर्माण कर वितरित किया जावेगा।

4.6.3 गुणवत्ता आश्वासन एवं नियंत्रण (Quality Assurance and Control)

4.6.3.1 रसायनशालाओं में निर्मित औषधियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा एवं पृथकशः Quality Control Unit की स्थापना जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में की जायेगी, जिससे गुणवत्तायुक्त औषध निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। अजमेर स्थित Drug Testing Laboratory को और अत्याधुनिक एवं सुदृढबनाया जायेगा।

4.6.3.2 आयुष औषधियों के प्रभाव एवं दुष्प्रभाव का अद्यतन DATABASE तैयार करवाया जाना सामयिक आवश्यकता है। इस हेतु एक PHARMACOVIGILANCE का पैरीफेरल CENTRE की स्थापना डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर,मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में की जायेगी जो राज्य के समस्त आयुष औषधालय/चिकित्सालयों से प्राप्त सूचना का संकलन, विश्लेषण एवं प्रकाशन करावेगा।

4.6.3.3 निजी क्षेत्र की कम्पनियों को GMP मानकों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जायेगी जिससे मानक के अनुरूप औषधियां जन–सामान्य को उपलब्ध करवाई जा सके, एतदर्थ औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति एवं उन्हें समसामयिक प्रशिक्षण देकर उनके संचालन कौशल को बढ़ाया जायेगा।

4.6.3.4 राज्य में आयुष औषधि निर्माण को बढ़ावा देने हेतु वृहद् स्तरीय उद्योगों (Large Scale Industry)को व लघु स्तरीय उद्योगों (Small Scale Industry)को प्रोत्साहित किया जावेगा।

4.7 आयुष वेलनेस पर्यटन (AYUSH Wellness Tourism)

चिकित्सा पर्यटन (Meditourism) एवं स्वस्थजीवनशैली के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए PPP आधार पर ''वेलनेस सेंटर'' स्थापित किये जायेंगे। ये केन्द्र विषम जीवनशैलीजन्य व्याधियों पर शोध कार्य भी करेंगे तथा शोध कार्य से प्राप्त परिणामों का प्रकाशन भी करेंगे।

4.8 सूचना, शिक्षा एवं संचार (Information, Education & Communication)

4.8.1 राज्य में आयुष पद्धतियों पर आधारित प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार कर, इन पद्धतियों के उपयोगी सिद्धान्तों का लाभ जनसामान्य तक पहुंचानें हेतु मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर/डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में एक आई.ई.सी. प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जो आयुष आधारित इलेक्ट्रॉनिक (Audio - Visuals) एवं प्रिंट दोनों प्रकार की आई.ई.सी. सामग्री विकसित कर प्रकाशित करेगा।

4.8.2 जिला स्तर पर आरोग्य मेले आयोजित किये जायेंगे, जिसमें आयुष शिक्षा, आयुष चिकित्सा जड़ी–बूटियों के कृषिकरण तथा आयुर्वेदीय औषध व सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों का प्रदर्शन किया जायेगा।

4.9 सूचना प्रणाली (Information System)

प्रदेश भर में आयुष के विभिन्न चिकित्सालयों, औषधालयों में आने वाले रोगियों एवं उनके विवरण की रिकार्ड कीपिंग हेतु सॉफ्टवेयर के माध्यम से केंद्रीयकृत रूप में संग्रहण किया जायेगा। इन सूचनाओं का उपयोग भविष्य की योजनाओं को तैयार करने में लिया जायेगा।

5 वित्तीय आवंटन/प्रोत्साहन/अनुदान (Financial allocation/Incentives/Subsidies)

5.1 आयुष क्षेत्र मे निजी निवेशको को प्रोत्साहित करने हेतु पृथक से समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेगें।

5.2 निजी निवेशकों को आयुष शिक्षा, आयुष चिकित्सा, आयुष शोध केन्द्र तथा आयुष फार्मेसी के क्षेत्र में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस आशय हेतु निवेशकों को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी तथा करों में एक निश्चित समयावधि हेतु छूट प्रदान की जायेगी।

5.3 राज्य में आयुष चिकित्सकों को निजी चिकित्सालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.4 राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जनसामान्य का रूझान तेजी से बढ़ रहा है। आमजन का इन चिकित्साओं के निरापद होने व रोग को समूल समाप्त करने की विशिष्टता के कारण लाभार्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुयी है। बजट की उपलब्धता के अनुसार समय–समय पर बजट में वृद्वि की जावेगी।

6 गवर्नेंस (Governance)

6.1 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत आयुष मंत्रालय से/केन्द्रीय अनुदान प्राप्त कर विभाग के ढांचे को सुदृढ किया जायेगा।

6.2 राज्य में जनस्वास्थ्य एवं मानव संसाधन विकास हेतु संचालित विभागों यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, कृषि विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग आदि के कार्यक्रम एवं योजनाओं में आयुष विभाग की समुचित स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।

6.3 आयुष चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा, स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन से सम्बन्धित सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु पंचायत राज विभाग के संसाधन एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जायेगा।

6.4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन समुदाय के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में संचालित सभी कार्यक्रमों में आयुष कार्मिकों की भागीदारी के साथ–साथ आयुष के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सिद्धान्तों का भी यथोचित समावेश किया जायेगा।

6.5 बालकों में स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली का अभ्यास बढ़ाने हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में आयुष स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन के सिद्धान्तों का समावेश किया जायेगा।

6.6 कुपोषण एवं अभावजन्य व्याधियों के रोकथाम में आयुर्वेदिक पौषक औषधियां (Nutraceuticals) प्रभावी है। अतः महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित पोषाहार में आयुर्वेदीय पोषक औषधियों का समावेश किया जायेगा तथा महिला एवं बाल स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रमों से आयुष चिकित्सकों को जोड़ा जायेगा।

6.7 पारम्परिक कृषि के साथ–साथ जड़ी–बूटियों की Inter Cropping किसानों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अतः कृषि विभाग के माध्यम से जड़ी–बूटियों के कृषिकरण को बढ़ावा दिलाया जायेगा। इस हेतु कृषि विभाग किसानों को सभी योजनाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध करवायेगा। कृषि विस्तार, आत्मा, मनरेगा एवं राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में आयुर्वेदिय जड़ी बूटियों को शामिल कर बढ़ावा दिया जावेगा।

6.8 आयुष औषध निर्माण क्षेत्र की निर्भरता वनों से प्राप्त औषधियों पर अधिक है। घटते वन क्षेत्र एवं विलुप्त होती जड़ी–बूटियां आयुष औषध निर्माण क्षेत्र के लिये चिन्ता का विषय है। एतदर्थ इन जड़ी–बूटियों को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने हेतु वन विभाग के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित किया जायेगा।

7 संस्थागत तन्त्र (Institutional Mechanism)

- राज्य स्तर पर संस्थागत तन्त्र को सुदृढ करने के लिये आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक निदेशालयों, आयुष शिक्षण संस्थाओं, राजकीय औषधि निर्माणशालाओं, राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के ढांचे को सुदृढ किया जायेगा। कार्य प्रणाली को अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु सूचना तकनीक का उचित समावेश किया जायेगा।
- विभाग के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा वांछित आधारभूत ढांचे को सुदृढ करने हेतु चरणबद्व रूप में कदम उठाये जायेंगे।

8 नियामक ढांचा (Regulatory Framework)

- राज्य स्तर पर एक बोर्ड/समिति का गठन किया जायेगा जो कि राजकीय चिकित्सालयों, औषधालयों के उन्नयन हेतु सलाह देगा तथा उनकी कार्यपद्वति को गुणवत्ता का आंकलन भी किया जायेगा।
- प्रदेश में निर्मित औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रभावकारी कदम उठाये जायेंगे।

9 वैधता (Validity)

इस आयुषनीति की वैधता 10 वर्ष रहेगी।

10. संलग्नक (Annexure)

संलग्नक–1 चिकित्सालय एवं औषधालय की आधारभूत संरचना हेतु मानक

संलग्नक–I

चिकित्सालय एवं औषधालय की आधारभूत संरचना हेतु मानक

जिला आयुष चिकित्सालय, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय के लिए भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण एवं स्टाफ व सुविधाओं के लिये न्यूनतम मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारण करके जनसामान्य के स्वास्थ्य हेतु इन चिकित्सा संस्थानों को अधिक सुविधा संपन्न बनाया जायेगा।

जिला आयुष चिकित्सालय के मानक (25 से 50 शय्यायुक्त)

क्र. सं.	मद	न्यूनतम मानदण्ड	विशेष विवरण
1.	नवीन चिकित्सालय हेतु मानदण्ड	चिकित्सालय (Hospital) के पूर्व में निर्धारित मानदण्डों को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है • राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर हो। • भवन की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार हो। • बजट में प्रावधान किया गया हो।	जिला स्तर पर वर्तमान में संचालित चिकित्सालय को ही मानदण्डों के अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाकर विकसित किया जायेगा।
2.	स्टॉफ	(चिकित्साधिकारी 07 पद) 1. प्रमुख चिकित्साधिकारी –1 पद 2. विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (एम.डी.) – 4 पद (कायचिकित्सा/पंचकर्म, शल्यतंत्र/शालाक्यतंत्र, स्त्रीरोग/बालरोग, रोगनिदान) 3. चिकित्साधिकारी – 2 पद 4. नर्स/कम्पाउण्डर – 10 पद 5. परिचारक – 06 पद 6. वरिष्ठ लिपिक – 1 पद 7. कनिष्ठ लिपिक – 1 पद 8. गार्ड – 4 पद 9. माली – 1 पद 10. पाचक – 2 पद 11. रजक (धोबी) – 1 पद 12. इलेक्ट्रिशियन – 1पद	परिचारक के पद स्वीकृत नहीं होने/रिक्त होने की स्थिति में नियत पारिश्रमिक के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाया जाना।
3.	भूमि	3500 वर्ग गज	
4.	भवन	निर्मित क्षेत्रफल – 21000 वर्गफीट चिकित्सालय	कक्ष – वरिष्ठ चिकित्साधिकारी कक्ष – 1 (एक) 300 वर्ग फीट मय शौचालय विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी कक्ष – 4 (चार) 180 वर्गफीट मय शौचालय (180x4=720) चिकित्साधिकारी कक्ष – 2 (दो) 180 वर्ग फीट मय शौचालय बाथरूम (180x2=360) औषधी वितरण कम रजिस्ट्रेशन कक्ष 1 (एक) 250

			वर्गफीट औषध भण्डार कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट सामान्य भण्डार कक्ष – 1 (एक) 400 वर्गफीट कनिष्ठ लिपिक कार्यालय कक्ष – 1(एक) 225 वर्गफीट रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल – 1(एक) 900 वर्गफीट ऑपरेशन थियेटर – 3 (तीन कक्ष) 180 वर्ग फीट (180x3=540) प्रयोगशाला कक्ष – 1 (एक) 400 वर्गफीट शल्य/ड्रेसिंग कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट पंचकर्म उपचार कक्ष – 5 (पांच) 200 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (200x5=1000) योग एवं प्राकृतिक कक्ष – 1 (एक) 1500 वर्गफीट नर्सिंग कक्ष –1 (एक) 180 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम शौचालय बाथरूम पुरुष एवं महिला – 100 वर्गफीट (100x2=200) महिला वार्ड–3 (तीन) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x3=1800) पुरुष वार्ड–3 (तीन) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x3=1800) कॉट्रेज वार्ड – 4 (चार) 200 वर्गफीट (200x4=800) मोर्चरी – 1(एक) 200 वर्गफीट रसोई – 120 वर्गफीट चारदीवारी – लगभग 5000 वर्गफीट
		आवास	आवास – चिकित्सक आवास – 04 यूनिट, कमरे 02 शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 1200 वर्गफीट (1200x4=4800) नर्स/कम्पा. आवास – 04 यूनिट कमरा 02, शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 800 वर्गफीट (800x4=3200) गार्डरूम – 1 (एक) 200 वर्गफीट मय शौचालय परिचारक – 1(एक) 250 वर्गफीट मय शौचालय, बाथरूम
		पानी एवं बिजली व्यवस्था	निर्मित क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. नोर्म्स के अनुसार सुचारू व्यवस्था किया जाना।
5.	औषध	मांग के अनुसार	मांग के अनुसार
6.	फर्नीचर एवं फिक्सर	चिकित्सक कक्ष हेतु –	ऑफिसर टेबल 07 नग रिवॉल्विंग चेयर 07 नग विज़िटर्स चेयर 28 नग रिवॉल्विंग स्टूल 07 नग रोगी परीक्षण टेबल 07 नग मय कर्टेन फुटरेस्ट 07 नग अलमारी बड़ी 07 नग कूलर 07 नग हीटर 07 नग

		औषध वितरण कक्ष हेतु	औषध वितरण टेबल 02 नग औषध संधारण पात्र 150 नग (1000 ग्राम 40 नग, 500 ग्राम 60 नग 250 ग्राम 50 नग) रेक्स बड़ी 05 नग कुर्सी 04 नग ऑफिस टेबल छोटी 02 नग अलमारी छोटी 02 नग
		नर्सिंग कक्ष हेतु	टेबल 02 नग कुर्सी 06 नग पलंग 02 नग
		कार्यालय कक्ष हेतु	ऑफिस टेबल 02 नग कुर्सी 08 नग अलमारी 04 बड़ी अलमारी 04 छोटी
		भण्डार कक्ष हेतु	अलमारी बड़ी 06 नग रैक्स बड़ी 10 नग
		शल्य/ड्रेसिंग कक्ष हेतु	बैंच 1 नग ड्रेसिंग टेबल 1 नग रिवॉल्विंग स्टूल 1 नग सर्जिकल टेबल विद मेकन टोस 1 नग कुर्सी 1 नग पलंग 1 नग मय गद्दा व तकीया सहित
		पंचकर्म उपचार कक्ष हेतु	पंचकर्म अभ्यंग के लिये टेबल 4 नग
		रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल हेतु	बैंच 4 नग
		आतुरालय (वार्ड) के लिये	पलंग – 50 नग मय गद्दे व तकिये कम्बल व चादर – 100 नग बेड साईड लॉक – 50 नग बैंच – 50 नग (6x2 फीट) कूलर – 12 नग
		रसोई (पथ्य निर्माण हेतु)	गैस चूल्हा/इंडक्शन चूल्हा एवं रसोई सम्बन्धी आवश्यक सामान
		चिकित्सक आवास हेतु	पलंग 2 नग/कुर्सी 4 नग, टेबल 1 नग, कूलर 2 नग प्रति आवास
		नर्स/कम्पा. व परिचारक आवास हेतु	पलंग 1 नग/कुर्सी 2 नग, टेबल 1 नग, कूलर 1 नग
7.	उपकरण	परीक्षण सम्बन्धी उपकरण	बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट 6 नग स्टेथेस्कोप 6 नग थर्मामीटर 6 नग इ.एन.टी. सेट 6 नग वेइंग मशीन 6 नग टॉर्च 6 नग बेबी वेइंग मशीन 6 नग प्रयोगशाला के लिए जांच हेतु सभी आवश्यक उपकरण
		ड्रेसिंग सम्बन्धी उपकरण	ड्रेसिंग ड्रम 4 नग ड्रेसिंग ट्रे 4 नग किडनी ट्रे 4 नग

			स्टेलाईजर 2 नग फॉर सैप्स स्टेट, कर्वड 4–4 नग चिटिल फॉर सेप्स 2 नग सिजर्स 4 नग डस्टबिन 8 नग
		उपचार सम्बन्धी उपकरण	खरल मूसली 4 नग (लौहे की) इमाम दस्ता 2 नग ग्राइंडर 2 जार वाला भगोना, चम्मच, स्टील, केतली 4–4 नग इंडक्शन चूल्हा 2 नग हीटर 2 नग मेजरिंग ग्लास 2 नग इलेक्ट्रिक मेजरिंग स्केल 2 नग स्वेदन बॉक्स 2 नग स्वेदन यंत्र 2 नग बस्ती यंत्र 2 नग वमन पीठ 2 नग शिरोधारा यंत्र 2 नग क्षारसूत्र ऑपरेशन थियेटर में आवश्यक सभी उपकरण स्ट्रेचर 2 नग व्हील चेयर 2 नग
8.	पथ्य	विभाग द्वारा निर्धारित पथ्य	मांग के अनुसार
9.	वार्षिक कंटीजेंसी	मांग के अनुसार	पानी, बिजली, सफाई/रंग रोगन/स्टेशनरी, सामान्य उपचार कार्य सामग्री, फर्नीचर व उपकरण मरम्मत कार्य एवं अन्य

ब्लॉक आयुष चिकित्सालय के मानक (10 से 25 शय्यायुक्त)

क्रसं.	मद	न्यूनतम मानदण्ड	विशेष विवरण
1.	नवीन चिकित्सालय हेतु मानदण्ड	चिकित्सालय (Hospital) के पूर्व में निर्धारित मानदण्डों को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है – • राज्य के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हो। • भवन की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार हो। • बजट में प्रावधान किया गया हो।	ब्लॉक स्तर पर वर्तमान में संचालित औषधालय/चिकित्सालय को ही मानदण्डों के अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाकर विकसित किया जायेगा। जहां पर आयुष चिकित्सा केन्द्र नहीं है वहां पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नवीन ब्लॉक आयुष चिकित्सालय खोले जायेंगे।
2.	स्टॉफ	(चिकित्सक 07 पद) 1. वरिष्ठ चिकित्साधिकारी – 1 पद 2. विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (एम.डी.) – 4पद (कायचिकित्सा/पंचकर्म, शल्यतंत्र/शालाक्यतंत्र, स्त्री एवं प्रसूति रोग/बालरोग, स्वास्थ्य संरक्षण (सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए) 3. चिकित्साधिकारी – 2 पद 4. नर्स/कम्पाउण्डर – 10 पद 5. परिचारक – 04 पद 6. कनिष्ठ लिपिक – 1 पद 7. गार्ड – 2 पद 8. माली – 1 पद 9. पाचक – 1 पद	परिचारक के पद स्वीकृत नहीं होने/रिक्त होने की स्थिति में नियत पारिश्रमिक के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाया जाना।
3.	भूमि	2500 वर्ग गज	
4.	भवन	निर्मित क्षेत्रफल – 18000 वर्गफीट चिकित्सालय	कक्ष – वरिष्ठ चिकित्साधिकारी कक्ष – 1 (एक) 300 वर्ग फीट मय शौचालय विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी कक्ष – 4 (चार) 180 वर्गफीट मय शौचालय (180x4=720) चिकित्साधिकारी कक्ष – 2 (दो) 180 वर्ग फीट मय शौचालय बाथरूम (180x2=360) औषधी वितरण कम रजिस्ट्रेशन कक्ष 1 (एक) 150 वर्गफीट औषध भण्डार कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट सामान्य भण्डार कक्ष – 1 (एक) 225 वर्गफीट कनिष्ठ लिपिक कार्यालय कक्ष – 1(एक) 180 वर्गफीट रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल – 1(एक) 600 वर्गफीट शल्य ड्रेसिंग कक्ष – 1 (एक) 150 वर्गफीट ऑपरेशन थियेटर – 3 (तीन कक्ष) 180 वर्ग फीट

			(180x3=540) पंचकर्म उपचार कक्ष – 5 (पांच) 200 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (200x5=1000) नर्सिंग कक्ष –1 (एक) 180 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम शौचालय बाथरूम पुरुष एवं महिला – 50 वर्गफीट (50x2=100) महिला वार्ड–2 (दो) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x2=1200) पुरुष वार्ड–2 (दो) 600 वर्गफीट मय शौचालय बाथरूम (600x2=1200) रसोई – 100 वर्गफीट चारदीवारी – लगभग 5000 वर्गफीट
		आवास	आवास – चिकित्सक आवास – 02 यूनिट, कमरे 02 शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 1200 वर्गफीट (1200x2=2400) नर्स/कम्पा. आवास – 03 यूनिट कमरा 02, शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 800 वर्गफीट (800x3=2400) गार्डरूम – 1 (एक) 200 वर्गफीट मय शौचालय परिचारक – 1(एक) 250 वर्गफीट मय शौचालय, बाथरूम
		पानी एवं बिजली व्यवस्था	निर्मित क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. नोर्म्स के अनुसार सुचारू व्यवस्था किया जाना।
5.	औषध	मांग के अनुसार	मांग के अनुसार
6.	फर्नीचर एवं फिक्सर	चिकित्सक कक्ष हेतु –	ऑफिसर टेबल 07 नग रिवॉल्विंग चेयर 07 नग विज़िटर्स चेयर 28 नग रिवॉल्विंग स्टूल 7 नग रोगी परीक्षण टेबल 07 नग मय कर्टेन फुटरेस्ट 07 नग अलमारी बड़ी 07 नग कूलर 07 नग हीटर 07 नग
		औषध वितरण कक्ष हेतु	औषध वितरण टेबल 02 नग औषध संधारण पात्र 150 नग (1000 ग्राम 40 नग, 500 ग्राम 60 नग 250 ग्राम 50 नग) रेक्स बड़ी 05 नग कुर्सी 04 नग ऑफिस टेबल छोटी 02 नग अलमारी छोटी 02 नग

		नर्सिंग कक्ष हेतु	टेबल 01 नग कुर्सी 03 नग पलंग 01 नग
		कार्यालय कक्ष हेतु	ऑफिस टेबल 01 नग कुर्सी 04 नग अलमारी 02 बड़ी अलमारी 02 छोटी
		भण्डार कक्ष हेतु	अलमारी बड़ी 03 नग रैक्स बड़ी 5 नग
		शल्य/ड्रेसिंग कक्ष हेतु	बैंच 1 नग ड्रेसिंग टेबल 1 नग रिवॉल्विंग स्टूल 1 नग सर्जिकल टेबल विद मेकन टोस 1 नग कुर्सी 1 नग पलंग 1 नग मय गद्दा व तकीया सहित
		पंचकर्म उपचार कक्ष हेतु	पंचकर्म हेतु टेबल 2 नग
		रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल हेतु	बैंच 4 नग
		आतुरालय (वार्ड) के लिये	पलंग – 10 नग मय गद्दे व तकिये कम्बल व चादर – 20 नग बेड साईड लॉक – 10 नग बैंच – 10 नग (6ग2 फीट) कूलर – 4 नग
		रसोई (पथ्य निर्माण हेतु)	गैस चूल्हा/इंडक्शन चूल्हा एवं रसोई सम्बन्धी आवश्यक सामान
		चिकित्सक आवास हेतु	पलंग 2 नग/कुर्सी 4 नग, टेबल 1 नग, कूलर 2 नग प्रति आवास
		नर्स/कम्पा. व परिचारक आवास हेतु	पलंग 1 नग/कुर्सी 2 नग, टेबल 1 नग, कूलर 1 नग
7.	उपकरण	परीक्षण सम्बन्धी उपकरण	बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट 7 नग स्टेथेस्कोप 7 नग थर्मामीटर 7 नग इ.एन.टी. सेट 7 नग वेइंग मशीन 7 नग टॉर्च 7 नग बेबी वेइंग मशीन 7 नग
		ड्रेसिंग सम्बन्धी उपकरण	ड्रेसिंग ड्रम 2 नग ड्रेसिंग ट्रे 2 नग किडनी ट्रे 2 नग स्टेलाईजर 2 नग फॉर सैप्स स्टेट, कर्वड 2–2 नग चिटिल फॉर सेप्स 2 नग सिजर्स 2 नग डस्टबिन 4 नग

		उपचार सम्बन्धी उपकरण	खरल मूसली 2 नग (लौहे की) इमाम दस्ता 1 नग ग्राइंडर 1 जार वाला भगोना, चम्मच, स्टील, केतली 2–2 नग इंडक्शन चूल्हा 2 नग हीटर 2 नग मेजरिंग ग्लास 2 नग इलेक्ट्रिक मेजरिंग स्केल 2 नग स्वेदन बॉक्स 2 नग स्वेदन यंत्र 2 नग बस्ती यंत्र 1 नग वमन पीठ 1 नग शिरोधारा यंत्र 1 नग क्षारसूत्र ऑपरेशन थियेटर में आवश्यक सभी उपकरण स्ट्रेचर 1 नग व्हील चेयर 1 नग
8.	पथ्य	विभाग द्वारा निर्धारित पथ्य	मांग के अनुसार
9.	वार्षिक कंटीजेंसी	मांग के अनुसार	पानी, बिजली, सफाई/रंग रोगन/स्टेशनरी, सामान्य उपचार कार्य सामग्री, फर्नीचर व उपकरण मरम्मत कार्य एवं अन्य

आयुष औषधालय हेतु मानक

क्र.सं.	मद	न्यूनतम मानदण्ड	विशेष विवरण
1.	नवीन औषधालय हेतु मानदण्ड	औषधालय (Dispensary) के पूर्व में निर्धारित मानदण्डों को आधार मानते हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है– • पंचायत मुख्यालय पर। • भवन की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार हो। • बजट में प्रावधान किया गया हो। • शहरी औषधालय मांग के अनुसार शहरी क्षेत्र में खोले जा सके।	
2.	स्टॉफ	1. चिकित्साधिकारी – 01 पद 2. नर्स/कम्पाउण्डर – 01 पद 3. परिचारक – 01 पद	परिचारक के पद स्वीकृत नहीं होने/रिक्त होने की स्थिति में नियत पारिश्रमिक के माध्यम से सफाई व्यवस्था करवाया जाना।
3.	भूमि	500 वर्ग गज शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग गज ग्रामीण क्षेत्र में	शहरी क्षेत्र में उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम भूमि 250 वर्गगज निर्धारित की जा सकती है।
4.	भवन	निर्मित क्षेत्रफल – 3100 वर्गफीट शहरी क्षेत्र के लिए 5100 वर्गफीट ग्रामीण क्षेत्र के लिए	चिकित्सक कक्ष 01 (एक) 200 वर्गफीट मय शौचालय औषध वितरण कम रजिस्ट्रेशन कक्ष 01 (एक) 180 वर्गफीट भण्डार कक्ष 01 (एक) 150 वर्गफीट औषध भण्डार कक्ष – 01 (एक) 150 वर्गफीट रोगी प्रतीक्षा हॉल 01 (एक) 300 वर्गफीट ड्रेसिंग कक्ष 01 (एक) 150 वर्गफीट शौचालय (महिला एवं पुरुष) 01–01 (एक–एक) 100 वर्गफीट चारदीवारी 2000 वर्गफीट लगभग
		आवास	आवास – चिकित्सक आवास – 01 यूनिट, कमरे 02 शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 1200 वर्गफीट (1200x1=1200) नर्स/कम्पा. आवास – 01 यूनिट कमरा 02, शौचालय, बाथरूम, किचन, लॉबी (कुल निर्मित) क्षेत्र 800 वर्गफीट (800x1=800) परिचारक – 1(एक) 250 वर्गफीट मय शौचालय, बाथरूम
		पानी एवं बिजली व्यवस्था	निर्मित क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. नोर्म्स के अनुसार सुचारू व्यवस्था किया जाना।
5.	औषध	मांग के अनुसार	मांग के अनुसार

6.	फर्नीचर एवं फिक्सर	चिकित्सक कक्ष हेतु –	ऑफिसर टेबल 01 नग रिवॉल्विंग चेयर 01 नग विज़िटर्स चेयर 4 नग रिवॉल्विंग स्टूल 1 नग रोगी परीक्षण टेबल 1 नग मय कर्टेन फुटरेस्ट 01 नग अलमारी बड़ी 01 नग कूलर 01 नग हीटर 01 नग
		औषध वितरण कक्ष हेतु	औषध वितरण टेबल 01 नग औषध संधारण पात्र 100 नग (1000 ग्राम 30 नग, 500 ग्राम 40 नग 250 ग्राम 30 नग) रेक्स बड़ी 03 नग कुर्सी 02 नग ऑफिस टेबल छोटी 01 नग अलमारी छोटी 01 नग
		भण्डार/औषध भण्डार कक्ष हेतु	अलमारी बड़ी 03 नग रैक्स बड़ी 07 नग
		शल्य/ड्रेसिंग कक्ष हेतु	बैंच 1 नग ड्रेसिंग टेबल 1 नग रिवॉल्विंग स्टूल 1 नग सर्जिकल टेबल विद मेकन टोस 1 नग कुर्सी 1 नग पलंग 1 नग मय गद्दा व तकीया सहित
		रोगी प्रतीक्षा हॉल कम कॉमन हॉल हेतु	बैंच 2 नग
		चिकित्सक आवास हेतु	पलंग 2 नग/कुर्सी 4 नग, टेबल 1 नग, कूलर 2 नग प्रति आवास
		नर्स/कम्पा. व परिचारक आवास हेतु	पलंग 1 नग/कुर्सी 2 नग, टेबल 1 नग, कूलर 1 नग
7.	उपकरण	परीक्षण सम्बन्धी उपकरण	बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट 1 नग स्टेथेस्कोप 1 नग थर्मामीटर 1 नग इ.एन.टी. सेट 1 नग वेइंग मशीन 1 नग टॉर्च 1 नग बेबी वेइंग मशीन 1 नग
		ड्रेसिंग सम्बन्धी उपकरण	ड्रेसिंग ड्रम 1 नग ड्रेसिंग ट्रे 1 नग किडनी ट्रे 1 नग स्टेलाईजर 1 नग फॉर सैप्स स्टेट, कर्व्ड 2–2 नग चिटिल फॉर सेप्स 1 नग

			सिजर्स 2 नग डस्टबिन 2 नग
		उपचार सम्बन्धी उपकरण	खरल मूसली 1 नग (लौहे की) इमाम दस्ता 1 नग ग्राइंडर 1 जार वाला भगोना, चम्मच, स्टील, केतली 1–1 नग इंडक्शन चूल्हा 1 नग हीटर 1 नग मेजरिंग ग्लास 1 नग इलेक्ट्रिक मेजरिंग स्केल 1 नग
8.	वार्षिक कंटीजेंसी	मांग के अनुसार	पानी, बिजली, सफाई/रंग रोगन/स्टेशनरी, सामान्य उपचार कार्य सामग्री, फर्नीचर व उपकरण मरम्मत कार्य एवं अन्य

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर

गिलोय

अश्वगंधा

तुलसी

आंवला